रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 885] नई दिल्ली बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2015/वैशाख 10, 1937
No. 885] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2015/VAISAKHA 10, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2015

का.आ. 1140(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 या अधिक यात्रियों, जिनके अंतर्गत चालक नहीं हैं, के बैठने की क्षमता वाली बसों के विद्यमान माडलों के लिए तिथि 1 अगस्त, 2015 तक या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, केन्द्र सरकार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125ग के उपनियम (1) एवं प्ररूप 22क के कार्यक्षेत्र से छूट देती है।

[फा. सं. आरटी—11028/02/2013—एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2015

S.O. 1140(E).—In exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government exempts the existing models of buses with seating capacity 13 or more passengers excluding driver from the purview of sub-rule (1) of rule 125C and in Form 22-A of Central Motor Vehicles Rules, 1989 till upto 1st August, 2015 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. RT-11028/02/2013-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

1929 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.